औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास प्रोत्साहन राज सहायता नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(1)(vii) से अनुमोदित)

1. **संक्षिप्त नाम** यह योजना औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास प्रोत्साहन राज सहायता योजना–2008 कहलायेगी।

2. **योजना का प्रारम्भ और अवधि** यह योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी और दिनांक 31 मार्च, 2018 तक, जब तक अन्यथा संशोधित न हो, प्रवर्त्त रहेगी।

3. **योजना का लागू होना** यह योजना विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति– 2008 के प्रस्तर–2 में चिन्हित/अधिसूचित दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के वर्गीकृत श्रेणी–ए एवं श्रेणी–बी के जनपदों में स्थापित अथवा नये स्थापित होने वाले सरकारी, अर्द्धसरकारी, सहकारी, संयुक्त तथा निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थानों के लिए लागू रहेगी।

4. **परिभाषा**

(1) औद्योगिक आस्थान का तात्पर्य राज्य/निजी उद्यमी द्वारा विकसित ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

(2) सरकारी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा विकसित किये गये हो।

(3) निजी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थानं से होगा जो कि पूर्णतया निजी उद्यमी के स्वामित्व में प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किया गया हो।

(4) अवस्थापना सुविधाओं के विकास से तात्पर्य भूमि के विकास तथा आस्थान के अंदर ऐसी अधोसंरचनात्मक सुविधाये जिनमें विद्यत, सड़क, जलापूर्ति, सम्पर्क मार्ग एवं नालियों का निर्माण भी सम्मिलित है, के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण से है।

5\. पात्रता

(1) योजनान्तर्गत अनुदान अथवा प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र औद्योगिक आस्थान को निम्नलिखित औपचारिकताएं/शर्ते पूर्ण करनी आवश्यक होंगी:–

- **(i)** औद्योगिक आस्थान की भूमि पर राज्य सरकार अथवा निजी प्रवर्तक का पूर्ण स्वामित्व एवं वैधानिक नियंत्रण हो।
- **(ii)** औद्योगिक आस्थान राज्य सरकार से अधिसूचित हो।
- **(iii)** निजी/संयुक्त/सहकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में दो एकड़ या इससे अधिक हो।
- **(iv)** औद्योगिक आस्थान की कुल भूमि का न्यूनतम 50 प्रतिशत भू–भाग अन्य उद्यमियों, को आवंटित करना आवश्यक होगा, किन्तु आवंटी उद्यमियों की संख्या तीन से कम न हो।
- **(v)** औद्योगिक आस्थान का ले–आऊट प्लान/मानचित्र शासन अथवा शासन की अधिकृत एजेंसी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA) द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित हो।
- **(vi)** अवस्थापना सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित आंगणन/प्रस्ताव राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अनुमोदित हो।

6\. अनुदान/राज सहायता की स्वीकार्य सीमा

योजनान्तर्गत अधिसूचित सभी जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित अथवा स्थापित होने वाले राजकीय/निजी औद्योगिक आस्थान में भूमि के विकास तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं (Infrastructure Facilities) में किए गए कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र), जो भी कम हो, अनुदान सहायता के रूप में देय होगी।

7\. अनुदान सहायता के संवितरण हेतु विर्निदष्ट एजेंसी

योजनान्तर्गत स्वीकृत अनुदान सहायता के संवितरण हेतु उद्योग निदेशक उत्तराखण्ड नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे। कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत संवितरण एजेंसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि को अग्रिम के रूप में आहरित कर उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (SIIDCUL) अथवा इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित एजेंसी के खाते में जमा कर उसका उपयोग भविष्य में कर सकेगा।

8\. अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु

राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग अथवा निजी प्रर्वतक/उद्यमी स्थापित औद्योगिक आस्थान अथवा नये औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु भूमि का

प्रक्रिया

स्वामित्व प्राप्त करने के उपरान्त आस्थान में किये जाने वाले अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा अधिकृत निर्माण एजेंसियों से अनुमोदित अपनी परियोजना आगंणन सहित सम्बन्धित जनपद के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे। अनुदान की अनुमन्यता के लिए दावा प्रस्तुत करते समय राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य की गुणवत्ता एवं समाप्ति (Completion) के सम्बन्ध में प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र प्राप्त प्रस्तावों को जिला उद्योग मित्र समिति में विचार/निर्णय हेतु प्रस्तुत कर उस पर जिला उद्योग मित्र के अभिमत/संस्तुति सहित स्वीकृति के लिए उद्योग निदेशालय को प्रेषित करेंगे। निदेशक उद्योग द्वारा जिला उद्योग मित्र समिति से अनुमोदित प्रस्ताव को स्वीकृति/अनुमोदन के लिए राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

9. अनुदान सहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया

1. उच्च प्राधिकृत समिति प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में अनुदान की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। समिति द्वारा स्वीकृत धनराशि का संवितरण बजट उपलब्धता के आधार पर योजनान्तर्गत निर्दिष्ट संवितरण अभिकरण द्वारा औद्योगिक आस्थान में प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं के पूर्ण होने के उपरान्त एकमुश्त की जायेगी, किन्तु ऐसे मामलों में जहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कम से कम 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया हो तथा इसके सम्बन्ध में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दे दिया जाता है, तो सरकारी निधियों की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट होने पर स्वीकृत अनुदान सहायता की 50 प्रतिशत धनराशि बतौर अग्रिम अवमुक्त की जा सकती है तथा शेष राशि कार्य की गुणवत्ता का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन करके उसकी संस्तुति एवं कार्य की समाप्ति (Completion) होने पर ही संवितरित की जायेगी।
2. औद्योगिक आस्थान में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाईयों द्वारा सृजित अवस्थापना सुविधाओं के उपयोग आदि के सम्बन्ध में संवितरण अभिकरण तथा सम्बन्धित एकक् के बीच अनुबन्ध/करार किया जायेगा। इस अनुबन्ध पत्र में किये गये करार का उल्लंघन होने अथवा राज्य सरकार के संज्ञान में अनुदान अथवा राज सहायता दिये जाने के पश्चात् किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने अथवा आस्थान को योजना प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के

भीतर बन्द करने की जानकारी प्राप्त होती है, तो राज्य सरकार सम्बन्धित औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुदान सहायता की वसूली भू–राजस्व वसूली की तरह 18 प्रतिशत ब्याज सहित कर सकती है।

3. राज्य सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर किये गये व्यय की सदुपयोगिता रिर्पोट निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा शासन को प्रस्तुत की जायेगी। निजी प्रर्वतको/उद्यमियों द्वारा अवस्थापना विकास अनुदान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक औद्योगिक आस्थान के कार्य–कलापों के बारे में 10 वर्ष तक, जैसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा, अपनी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/ऑडिट रिर्पोट प्रत्येक वर्ष विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।